

राजस्थान राज—पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद 9, शुक्रवार, शाके 1934— अगस्त 31, 2012 Bhadra 9, Friday, Saka 1934—August 31, 2012

भाग 1 (ख) महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायं ।

स्कूल शिक्षा विभाग प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग अधिसृधना

जयपुर, अगस्त 29, 2012

संख्या एफ. 7(1) ईई/ प्लान/2011 :- महामहिम राज्यपाल,राजस्थान द्वारा जारा किया गंगा 1नेम्नलिखित निर्देश जनसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अर्थात् -निर्देश

भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) के अधीन प्रवस्त सवितया वन प्रयोग करत हुए में, श्रीमती मार्चट आल्या राज्यपाल ,राजस्थान इसके द्वारा निर्देश देती हूँ कि ।नःशुल्क आर अभिवाय बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम स. 35) पन वार 23 को तप-धारा (1) अनुस्तित क्षत्रों पर इस उपान्तरण के साथ लागू होगी कि उप क्षत्र का अनुस्तित का जानजाति का कोई भी व्यक्ति अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि उसने उस उपान्तरण के अधिकायत अहीता पर्वामा में न्यूनतम 36% अंक अभिप्राप्त किये हैं।

मधीत (एला) सुच्यपाल, सज्ञादानः

Mich of Red I

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT FLEMENTARY EDUCATION (PLAN) SECTION NOTIFICATION

Jaipur, August 29, 2012

No. F. 7(1)EE/Plan/2011. The following direction issued by Her Excellency, the Governor of Rajasthan, is hereby published for information of general public, namely:

DIRECTION

In exercise of powers conferred under sub-paragraph (1) of Paragraph 5 of Fifth Schedule to the Constitution of India, 1, Smt. Margret Alva, Governor of Rajasthan, hereby direct that subsection (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009) shall apply at the Scheduled Areas with the modification that any person belonging to Scheduled Tribe of that Area shall be eligible for appointment as a teacher, if he has obtained minimum 36% marks in the qualifying examination laid down under that subsection.

भाषत आह्या. Governor of Rajasthan

आर.सं.उन्हाल. Deputy Secretary to the Government